मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा षोडश सत्र

फरवरी-मार्च, 2018 सत्र

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2018

(9 फाल्गुन, शक संवत् 1939)

[खण्ड- 16] [अंक-3]

मध्यप्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2018

(9 फाल्गुन, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक का उपस्थापन

अध्यक्ष महोदय-- अब श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक का उपस्थापन करेंगे . (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री मुकेश नायक -- वित्तमंत्री जी आपको अपना अंतिम बजट पेश करने के लिये बहुत-बहुत बधाई क्योंकि मध्यप्रदेश में इसके बाद इनको मौका नहीं मिलने वाला है. (प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

श्री बाबूलाल गौर -- ये होली का मजाक है.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) --

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मुझे सदन को यह बताने में खुशी है कि वर्ष 2017–18 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था ने स्थिर मूल्यों पर 7.3 प्रतिशत की वृध्दि दर हासिल की है जो राष्ट्रीय वृध्दि दर से अधिक है। यह विकास दर इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष प्रदेश में मानसून कमजोर रहा है और प्रदेश के कई अंचल सूखे से प्रभावित हैं।

2. वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के परिणामस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2004–05 से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी का परिणाम है कि जहां वर्ष 2004–05 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा मात्र 3.48 प्रतिशत था, वर्ष 2017–18 में बढ़कर 3.84 प्रतिशत हो गया है।

आर्थिक परिदृश्य

3. जनवरी, 2018 की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की समीक्षा के अनुसार विगत वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर विकसित एवं विकासशील देशों दोनों में सुदृढ़ रही है। आगामी दो वर्षों में मुख्यतः विकसित देशों में आर्थिक गतिविधियां और प्रबल होने से इस दर में वृद्धि की संभावना है। निकट भविष्य में वैश्विक विकास के सामने मुख्य जोखिम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय बाजारों में ऋण संसाधनों की उपलब्धता में कमी तथा ऋण शर्तों के कठोर होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त वैश्विक व्यापार समझौतों की निरंतरता से जुड़ी अनिश्चितताएं तथा संरक्षणवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव चिंता का विषय है। अतः वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं लागत कठोर होने की संभावना के कारण इसके बेहतर उपयोग की महती आवश्यकता है।

ए जिन्दगी मुश्किलों के सदा हल दे,
फुर्सत के कुछ पल दे,
दुआ है दिल से,
सबको सुखद आज,
और बेहतर कल दे।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

4. सिंचाई सुविधाओं में विस्तार तथा कृषि पम्पों को आवश्यकतानुसार विद्युत की आपूर्ति एवं उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित कर हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास दर हासिल की है। इसी अभूतपूर्व विकास दर के फलस्वरूप मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार 5 बार प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार किसानों की आय 5 वर्ष में दोगुनी करने के लिये प्रतिबद्ध है। कृषि में वैज्ञानिक इनपुट, सिंचाई सुविधा के साथ यह भी आवश्यक है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। इसके लिये समर्थन मूल्य पर उपार्जन एवं भंडारण की व्यापक व्यवस्थाएं की गई है।

5. परन्तु, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के मूल्य में अचानक आयी गिरावट के कारण हमारे बाजार भी प्रभावित हुए हैं। बाजार की इस गिरावट से अपने किसानों को सुरक्षा प्रदान कराने के लिये हमारी सरकार कृत–संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्रीजी की पहल पर सरकार द्वारा किसानों को मंडियों में भाव के उतार–चढ़ाव से होने वाली हानि से सुरक्षित करने के लिये मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना खरीफ 2017 से प्रारंभ की गई है।

6. अब तक 15 लाख किसान इस योजना में सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने 28 लाख मेट्रिक टन से अधिक उपज का विक्रय मंडियों में किया है। इनमे से 10 लाख 50 हजार किसानों के बैंक खातों में रूपये 1500 करोड़ भावांतर राशि जमा की गई है। इस योजना के तहत रबी 2017–18 के लिये चना, मसूर तथा सरसों को सम्मिलित किया गया है। योजना हेतु वर्ष 2018–19 के बजट में रूपये 1 हजार करोड़ का प्रावधान है। प्याज उत्पादक किसानों के हित में भी उद्यानिकी भावांतर योजना लागू की जाएगी जिसके लिये रूपये 250 करोड़ का प्रावधान अतिरिक्त रूप से है।

7. मध्य प्रदेश में वर्ष 2003–04 से वर्ष 2016–17 की अवधि में बीज प्रतिस्थापन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2003–04 में प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग 49.44 किलोग्राम था, जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 70.35 किलोग्राम हो गया है। मध्य प्रदेश में स्वाईल हेल्थ कार्ड का किसानों द्वारा उपयोग किये जाने के कारण रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। खरीफ 2017 में डी.ए.पी. के उपयोग में 31 प्रतिशत एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश के उपयोग में 34 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा रबी 2017–18 में डी.ए.पी. के उपयोग में 13 प्रतिशत एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश के उपयोग में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

8. कृषि यंत्रीकरण के अन्तर्गत प्रदेश में तेजी से प्रगति हुई है। वर्ष 2003–04 में फार्म पॉवर का उपयोग 0.85 किलोवाट प्रति हेक्टेयर था, जो वर्ष 2016–17 में 1.85 किलोवाट प्रति हेक्टेयर हो गया है। कृषि यंत्रीकरण में 2000 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के साथ ही अगले 5 वर्षों में यंत्रीकरण को बढ़ावा देकर 3.00 किलोवाट प्रति हेक्टेयर फार्म पॉवर उपयोग किये जाने का लक्ष्य है।

9. सिंचाई सुविधा के विस्तार के साथ उपर्युक्तानुसार वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करने से वर्ष 2004 की तुलना में फसलों की उत्पादकता में व्यापक सुधार हुआ है। गेहूं की उत्पादकता 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, धान की उत्पादकता 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मक्का की उत्पादकता 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो चुकी है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 143 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 439 लाख मेट्रिक टन, कुल दलहन उत्पादन 33 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 79 लाख मेट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन 49 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 87 लाख मेट्रिक टन हो चुका है।

10. गेहूं तथा धान उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषक समृद्धि योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत लगभग 9 लाख किसानों को प्रति क्विंटल रूपये 200 के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना हेतु वर्ष 2018–19 के बजट में रूपये 3 हजार 650 करोड़ का प्रावधान है।

11. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2016 की बीमा दावा राशि लगभग रूपये 1 हजार 660 करोड़ का भुगतान कृषकों के खाते में किया गया है। इस योजना हेतु वर्ष 2018–19 के बजट में रूपये 2 हजार करोड़ का प्रावधान है।

12. किसान कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए रूपये 9 हजार 278 करोड़ का प्रावधान है जो वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित अनुमान से 87 प्रतिशत अधिक है।

मंत्री पंचायत और ग्रामीण विकास(श्री गोपाल भार्गव)-- मुकेश भाई क्या अब भी विरोध करेंगे, अरे आप लोगों को तो धन्यवाद कहना चाहिये..

श्री बाला बच्चन -- गोपाल भार्गव जी वित्त मंत्री जी का भाषण हो जाने दीजिये. फिर हम आपको बतायेंगे. कल ही कृषि विभाग का जवाब देने का दिन था उसमें प्रश्न में आधे से ज्यादा किसानों को भावांतर का मूल्य नहीं मिला है.

श्री गोपाल भार्गव-- अगर इसके बाद भी विरोध करे तो इसका अर्थ यह है कि वह किसानों के हितैषी नहीं हैं....

अध्यक्ष महोदय- कृपया बैठ जायें.

श्री बाला बच्चन -- 2018 में मात्र 422 लोगों को रोजगार मिला है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है.सहकारिता और अन्य कर्मचारी धरने पर बैठे हैं.सरकार की यह स्थिति है ...

श्री गोपाल भार्गव--हमारी सरकार ने अरबों रूपया किसानों पर न्योछावर कर दिया.

अध्यक्ष महोदय- भार्गव जी कृपया बैठ जायें, बाला बच्चन जी बैठ जायें.

श्री गोपाल भार्गव -- अरबों रूपया किसानों पर न्यौछावर कर दिया.भारत में और दुनियां में यह हमारी पहली सरकार है.

श्री बाला बच्चन -- भार्गव जी पहले वित्त मंत्री जी को पढ़ लेने दीजिये.फिर हम बतायेंगे.

अध्यक्ष महोदय- बाला बच्चन जी बैठ जाईये, मंत्री जी बैठ जाईये. आपको सबको जल्दी अवसर मिलेगा. कृपया बैठ जायें.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) --

उद्यानिकी

13. किसानों को उद्यानिकी उत्पाद की सही कीमत दिलाने हेतु फसलोत्तर प्रबंधन की संरचनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। किसानों के खेत से मंडी तक कोल्ड चेन की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। नश्वर उद्यानिकी उत्पादों के भंडारण हेतु 5 लाख मैट्रिक टन शीत घर निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 3 लाख 32

हजार मेट्रिक टन क्षमता विकसित हो चुकी है। विगत 2 वर्षों में प्याज भंडारण क्षमता 5 लाख मेट्रिक टन बढ़ाने के लक्ष्य के विरूद्ध 1 लाख 70 हजार मेट्रिक टन क्षमता के प्याज भंडार–गृह निर्मित किए जा चुके हैं तथा 2 लाख 75 हजार मेट्रिक टन क्षमता निर्माणाधीन है।

14. नश्वर उत्पादों की खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही विशेष नीति जारी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "वर्ल्ड फूड इंडिया 2017" नई दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के निवेशकों से लगभग रूपये 1200 करोड़ के निवेश हेतु अनुबंध किया गया है।

उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के लिए रूपये 1 हजार 158 करोड़ का प्रावधान है जो वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित अनुमान से 46 प्रतिशत अधिक है।

सहकारिता

15. सहकारिता क्षेत्र में वर्ष 2012–13 से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण निरन्तर दिया जा रहा है। इस वर्ष योजना अंतर्गत 28 लाख किसान लाभान्वित होना संभावित है। किसानों को ऋण वापसी में सुविधा हेतु खरीफ 2017 के लिये निर्धारित ड्यू डेट 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल, 2018 नियत की गई है।

16. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे सदस्य जो फसल ऋण समय पर न चुकाने से डिफाल्टर होने से संस्थागत ऋण सुविधा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें संस्थागत ऋण सुविधा से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के लिए रूपये 350 करोड़ का प्रावधान है। सहकारिता विभाग की योजनाओं के लिए रूपये 1 हजार 627 करोड़ का प्रावधान है।

पशुपालन

17. दुग्ध उत्पादन में प्रदेश राष्ट्र में तीसरे स्थान पर है। राज्य शासन की आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन योजना के अंतर्गत लक्ष्यों का विस्तार किया जाएगा। पशुपालन विभाग की योजनाओं के लिए रूपये 1 हजार 38 करोड़ का प्रावधान है।

मत्स्य पालन

18. मत्स्य पालन विभाग द्वारा मुख्यतः मत्स्य बीज उत्पादन, मछुआरों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण की सुविधा एवं दुर्घटना बीमा सहायता

का कार्य किया जा रहा है। विभाग की योजनाओं के लिए रूपये 91 करोड़ 89 लाख का प्रावधान है।

सिंचाई

19. दिसम्बर 2003 में जब हमारी सरकार ने प्रदेश की बागडोर सम्भाली थी तब प्रदेश का किसान मानसून वर्षा की दया पर निर्भर था। नई सिंचाई परियोजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन तथा निर्माण का कार्य लगभग बंद सा था। पुरानी सिंचाई परियाजनाओं में वितरण प्रणाली का समुचित संधारण न होने से इनका भी लाभ किसानों को नहीं प्राप्त था। वर्ष 2002-03 में शासकीय सिंचाई योजनाओं से मात्र 7.50 लाख हेक्टेयर में ही सिंचाई की जा सकी थी। हमारी सरकार ने सर्वप्रथम विश्व बैंक की सहायता से वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के अधीन 5 वृहद, 21 मध्यम एवं 202 लघु सिंचाई परियोजनाओं का पुनरूध्दार कर 6 लाख 51 हजार हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र पुनर्स्थापित किया। इसके अन्तर्गत चम्बल, हरसी, हलाली, वेनगंगा, बीला आदि परियोजनाओं में उल्लेखनीय कार्य हुआ।

20. हमारी सरकार ने नई सिंचाई योजनाओं का वृहद् पैमाने पर सर्वेक्षण कराकर नई सिंचाई योजनाओं का निर्माण प्रारम्भ किया। वर्ष 2003 से अद्यतन स्थिति में 8 वृहद 18 मध्यम एवं 1 हजार 980 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर 11 लाख 25 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित की गई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में 21 वृहद 49 मध्यम एवं 354 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनकी कुल सिंचाई क्षमता 17 लाख 79 हजार हेक्टेयर में से 5 लाख 43 हजार हेक्टेयर क्षमता विकसित हो चुकी है। वर्ष 2017-18 में छतरपुर जिले की बरियारपुर नहर परियोजना, मंदसौर जिले की भानपुरा नहर परियोजना, डिंडोरी जिले की बिलगांव मध्यम परियोजना को पूर्ण किया गया है। ग्वालियर जिले की सिंध द्वितीय चरण परियोजना पूर्णता पर है। इसके अतिरिक्त 86 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं।

21. 70 नवीन लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये प्रावधान वर्ष 2018-19 के बजट में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2018-19 में 2.05 लाख हेक्टेयर नवीन सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। जल का अभीष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से अब हमने खुली नहर बनाने के स्थान पर सभी वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं में प्रेशराईज्ड पाईप द्वारा माइको सिंचाई हेतु जल के वितरण का प्रावधान किया है।

22. राजगढ़ जिले में निर्माणाधीन कुण्डलिया बांध के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इसकी बाईं तट नहर, जिससे 62 हजार 400 हेक्टेयर क्षेत्र में माईक्रो सिंचाई पद्धति से सिंचाई प्राप्त होगी, का निर्माण यथाशीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। राजगढ़ जिले की मोहनपुरा परियोजना का बांध पूर्णता पर है। इसकी दाईं तट नहर से आगामी रबी सीजन में सिंचाई प्रारंभ कर ली जाएगी। 92 हजार 500 हेक्टेयर क्षमता की बाईं तट नहर का कार्य भी यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। शिवपुरी जिले की लोअर ओर परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सागर जिले की बीना परियोजना के चकरपुर बांध, दमोह जिले की सतधारू परियोजना एवं सिंगरौली जिले की गोंड पारियोजना का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ कराया जा रहा है।

23. वर्ष 2024 तक नर्मदा के मध्य प्रदेश के हिस्से के जल के उपयोग की दृष्टि से 9.10 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की 27 माईक्रो सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन नवीन माईक्रो सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कटनी जिले में ढीमरखेड़ा, सीहोर एवं देवास के लिये छीपानेर, खण्डवा जिले में छैगांवमाखन एवं हरसूद, खरगोन जिले में बिस्टान एवं बलवाड़ा, इन्दौर एवं उज्जैन जिले के लिये नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना एवं अलीराजपुर जिले में अलीराजपुर माईक्रो सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त खरगोन जिले में अम्बा–रोडया, चौंडी–जामनिया, बलकवाड़ा एवं इन्दौर जिले में सिमरोल– अम्बाचंदन परियोजना के निर्माण के लिये भी एजेंसी निर्धारित की जा चुकी है एवं इनके कार्य भी शीघ्र प्रारंभ किये जाएंगे।

24. नर्मदा–झाबुआ–पेटलावद–थांदला–सरदारपुर उद्वहन परियोजना, नर्मदा–क्षिप्रा लिंक बहुउद्देशीय परियोजना, पाटी उद्वहन, किल्लौद उद्वहन, पामखेड़ी उद्वहन, भुरलाय उद्वहन, कोदवार उद्वहन, नवीन सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। ऐसी समस्त परियोजनाओं के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए बजट प्रावधान के अतिरिक्त, नर्मदा बेसिन कंपनी में राज्य सरकार द्वारा रूपये 300 करोड़ की अंशपूंजी का निवेश कर कंपनी को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिये सक्षम बनाया जा रहा है।

श्री बाला बच्चन-- माननीय वित्तमंत्री जी, नर्मदा जी में अभी पानी नहीं है, नर्मदा जी पूरी सूख चुकी हैं.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) --

25. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य में माईक्रो सिंचाई अर्थात ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति के विस्तार हेतु रूपये 369 करोड़ एवं वाटरशेड विकास हेतु रूपये 285 करोड़ का प्रावधान है।

सिंचाई क्षेत्र के लिये रूपये 10 हजार 928 करोड का प्रावधान है, जो 2017–18 के पुनरीक्षित अनुमान से 17 प्रतिशत अधिक है।

श्री गोपाल भार्गव--अध्यक्ष महोदय, अब आप लोग कोई कटौती प्रस्ताव नहीं देना.

श्री बाला बच्चन--अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो कटौती प्रस्ताव भी देंगे. हम यह कहना चाहते हैं कि नर्मदा में पानी सूख चुका है. यह जो बांधों एवं उद्वहन परियोजनाओं का बजट में उल्लेख किया है. अब नर्मदा जी में पानी नहीं है. सारा पानी आप लोगों ने गुजरात राज्य को दे दिया है. गुजरात में आपकी पार्टी की सरकार बनाने के लिये ऐसा किया है. नर्मदा का पानी जो मध्यप्रदेश के किसानों को मिलना चाहिये था वह पूरा पानी आप लोगों ने गुजरात को दे दिया है.

अध्यक्ष महोदय--कृपया करके आप सब लोग बैठ जाईये.

श्री यादवेन्द्र सिंह--अध्यक्ष महोदय, 40 साल की नर्मदा दायीं तट की परियोजना है.

अध्यक्ष महोदय--आप लोग बैठ जाईये. जब आपका अवसर आयेगी तब बोल लेना.

श्री गोपाल भार्गव--अध्यक्ष महोदय, 10 हजार करोड़ रूपया मध्यप्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं मिला होगा.

श्री यादवेन्द्र सिंह--हमारे यहां तो नहीं मिला है. हमारा क्षेत्र चित्रकूट से मैहर तक आता है.

श्री तरूण भनोत--आप बीच बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं, ताकि विवाद हो. आप इस तरफ आ जाईये. 6 महीने बाद आना है. आप अभी आ आईये.

अध्यक्ष महोदय--माननीय मंत्री जी, आप कृपया बैठ जाएं.

श्री गोपाल भार्गव--आप लोग भाषण देना बंद करें. आप लोग तो 100 साल तक नहीं आने वाले हैं.

अध्यक्ष महोदय--भनोत जी, आप कृपया बैठ जाईये. इसके बाद में आपको अवसर मिलेगा. कृपया करके आप बैठ जाएं. जब अवसर आता है तब तो बोलते नहीं हैं.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

ऊर्जा क्षेत्र

26. आप सभी को वर्ष 2003 स्मरण होगा जब प्रदेश में व्यापक बिजली कटौती प्रचलित थी। तत्समय न पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध थी और न ही पारेषण और वितरण की पर्याप्त अधोसंरचना थी। वर्ष 2003–04 में उपलब्ध 5 हजार 173 मेगावाट क्षमता के विरूद्ध आज 18 हजार 364 मेगावाट क्षमता उपलब्ध है। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कुल 3 हजार 823 मेगावाट क्षमता स्थापित है एवं 10 हजार 961 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

27. वर्ष 2003 में स्थापित 162 अति उच्च दाब केन्द्रों के स्थान पर अब 339 अति उच्च दाब केन्द्र स्थापित हैं, 33 के.वी. के 1802 उपकेन्द्रों के स्थान पर अब 3 हजार 553 उपकेन्द्र हैं, 1 लाख 68 हजार 346 वितरण ट्रांसफार्मरों की तुलना में वर्तमान में 6 लाख 31 हजार 218 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित हैं। विद्युत अधोसंरचना के विस्तार पर लगभग रूपये 83 हजार 816 करोड़ का निवेश किया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश के सभी अंचलों में गुणवत्ता पूर्ण विद्युत प्रदाय सुनिश्चित हुआ है।

श्रीमती ऊषा चौधरी--अध्यक्ष महोदय, बच्चों के पेपर चल रहे हैं उनको बिजली नहीं मिल रही है. आप यहां पर किसानों को बिजली देने की बात कर रहे हैं. वर्तमान में 20 दिनों से बिजली गोल है. बच्चों की इसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

28. वर्ष 2003 में 10 लाख सिंचाई पंप कनेक्शन थे जो 2018 में बढ़कर 27 लाख हो चुके हैं। अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शनों को स्थाई कनेक्शन में परिवर्तित करने हेतु मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पम्प योजना के तहत वर्ष 2017–18 में दिसम्बर माह तक 1 लाख 20 हजार स्थाई कनेक्शन संयोजित किये गये हैं। प्रदेश में सोलर पम्प योजना के तहत 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। अब तक 4876 सोलर पम्प स्थापित किये जा चुके हैं एवं 1721 नवीन सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य जारी है।

29. दिनांक 25 सितम्बर, 2017 से प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना अंतर्गत 43 लाख घरों को विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है। मार्च 2018 तक प्रदेश के 5 जिलों में, अगस्त 2018 तक 20 जिलों में तथा अक्टूबर 2018 तक शेष 26 जिलों में शतप्रतिशत घरों को विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है।

30. ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए रूपये 18 हजार 72 करोड़ का बजट प्रावधान है। इसमें विद्युत सब्सिडी की राशि रूपये 9 हजार 212 करोड़ एवं उदय योजना अंतर्गत रूपये 4 हजार 622 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित है।

31. सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि कृषि बजट में वर्ष 2018–19 के लिए रूपये 37 हजार 498 करोड़ का प्रावधान है जो वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित अनुमान से 17 प्रतिशत अधिक है।

सड़क

32. वर्ष 2003 में गढ्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। तब से अब तक किये गये कार्यों से आप भली भांति अवगत हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में अद्यतन कुल 2000 कि.मी. सड़कों तथा 59 नग वृहद पुलों का निर्माण किया गया है एवं 2100 कि.मी. सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। वर्ष 2018–19 में 3000 कि.मी. सड़कों तथा 150 नग वृहद पुलों के निर्माण एवं 3500 कि.मी. मार्गों के नवीनीकरण का लक्ष्य है। इस बजट में 532 सड़क निर्माण व 38 पुल निर्माण के कार्य नवीन मद के रूप में प्रस्तावित हैं। वर्ष 2018–19 में लगभग 2000 कि.मी. लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन प्रस्तावित है।

इसमें आप लोगों की सड़कें भी शामिल हैं.

33. भारत सरकार की भारतमाला योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य शासन के परामर्श पर 5987 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें जबलपुर बॉयपास, सागर बॉयपास, ग्वालियर बॉयपास एवं ओरछा बॉयपास का निर्माण भी सम्मिलित है। इस योजना में ही भोपाल–इंदौर 6 लेन एक्सप्रेस–वे एवं भोपाल बॉयपास बनाए जाने की भी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस एक्सप्रेस–वे की अनुमानित लागत रू. 5000 करोड़ है।

34. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अभी तक 75 हजार किलोमीटर एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 15 हजार 584 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4 हजार किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण, 7 हजार 500 किलोमीटर सड़कों का पुनर्डामरीकरण, 65 हजार किलोमीटर का सामान्य संधारण तथा 500 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन का लक्ष्य है। एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सहायता से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़कों के डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

श्री गोपाल भार्गव - भारत में अव्वल हैं हमें धन्यवाद दे दो.

श्री बाला बच्चन - आप उधर का परिणाम देख लो पता चल जायेगा. कोलारस और मुंगावली का जो गढ्ढा है उसे देख लो वह कितना बड़ा गढ्डा हो गया है. कितना बड़ा अंतर हो गया है. सरकार ने चुनाव लड़ा था.

श्री मुकेश नायक - माननीय वित्त मंत्री जी, बायपास के आसपास जो बायपास बन रहे हैं वहां जमीनें खरीदी का काम तो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है.

अध्यक्ष महोदय - कृपा करके बैठ जाएं.

श्री जयंत मलैया - इसका उत्तर अभी दूं या सदन के बाहर दूं.

श्री मुकेश नायक - सदन के बाहर भी नहीं दे पाएंगे और अंदर भी नहीं दे पाएंगे.

अध्यक्ष महोदय - मुकेश नायक जी, बैठ जाएं. प्रश्नोत्तर काल है क्या यह.मुकेश नायक जी आपको अवसर मिलेगा बैठ जाएं कृपया.

श्री मुकेश नायक - बायपास के पास किस मंत्री की कितनी जमीनें हैं. विवरण हम रखने वाले हैं.

श्री जयंत मलैया - स्वागत है आपका. बताईयेगा.

अध्यक्ष महोदय - मुकेश नायक जी बैठ जाएं. आपको इतनी जल्दी क्यों है आपको.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) --

35. ग्रामों को ग्रामीण बाजारों से जोड़ने के लिये भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। इसके कियान्वयन के फलस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

36. सड़कों के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग के लिये रूपये 6 हजार 208 करोड़ एवं ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिये रूपये 3 हजार 530 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

लोक परिवहन

37. प्रदेश के 20 प्रमुख नगरों में लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हब एंड स्पोक मॉडल आधारित क्लस्टर बस सेवा संचालित करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। भोपाल एवं इन्दौर में मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रथम चरण का निर्माण वर्ष 2018–19 में प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

श्री जितू पटवारी - इन्दौर में बयान देकर आए आप. अलग-अलग बात करते हो. दो बयान आपके हैं.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

स्मार्ट सिटी

38. स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित शहरों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर तथा सतना में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण, जीने के लिये उच्च स्तरीय गुणवत्ता तथा स्मार्ट समाधान प्राप्त होगा। स्मार्ट सिटी योजना हेतु वर्ष 2018–19 के लिए रूपये 700 करोड़ का प्रावधान है।

उद्योग

39. यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रदेश के विनिर्माण उद्योग के विकास की दर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2015–16 में 11.91 प्रतिशत, 2016–17 में 7.38 प्रतिशत रही है एवं वर्ष 2017–18 के अग्रिम अनुमान के अनुसार यह दर 10.55 प्रतिशत आंकलित है जो राष्ट्रीय दर से अधिक है।

40. विद्यमान 13 औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन हेतु रूपये 484 करोड़ के कार्य पूर्ण किये गये हैं। 22 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में रूपये 1820 करोड़ के अधोसंरचना विकास कार्य प्रगतिरत हैं। इन कार्यों को दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

श्री बाला बच्चन - अध्यक्ष महोदय, 11.50 लाख बेरोजगारों ने रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराया है, उनमें से केवल 422 लोगों को ही काम मिला है. प्रदेश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) --

41. उद्योग संवर्धन नीति 2014 में उल्लेखित वैट एवं सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति सुविधा को जी.एस.टी. लागू होने के परिप्रेक्ष्य में समाप्त कर अब पूंजीनिवेश पर आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। दिनांक 01 अप्रैल 2018 अथवा पश्चात्‌वर्ती तिथि से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को उनके निवेश का अधिकतम 40 प्रतिशत, अधिकतम राशि रूपये 150 करोड़, निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रोत्साहन अनुदान की गणना में वार्षिक उत्पादन, निर्यात एवं रोजगार आधारित गणक को भी सम्मिलित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के लिये अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है।

42. जी.एस.टी. प्रणाली लागू होने के पूर्व से संचालित इकाईयां जिन्हें वैट तथा सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता प्राप्त हो रही थी, उनको सहायता किस मापदण्ड से प्रदाय की जाए, इस विषय में गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त हो गई है। इन अनुशंसाओं पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

वर्ष 2018–19 में उद्योगों के लिये निवेश प्रोत्साहन योजना अंतर्गत रूपये 855 करोड़ का बजट प्रावधान है।

लोक स्वास्थ्य

43. वर्ष 2003 की स्थिति में 8 हजार 835 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित थे जिनकी संख्या बढ़कर 11 हजार 192 हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 1194 थी जिसमें से कुछ संस्थाओं का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में किये जाने के उपरान्त 1170 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 229 से बढ़कर 335 हुई है। सिविल अस्पतालों की संख्या 58 से बढ़कर 73 तथा जिला चिकित्सालयों की संख्या 36 से बढ़कर 51 हुई है। शासकीय अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 19 हजार 135 से बढ़कर 43 हजार 313 हो चुकी है। निःशुल्क दवा, जांच, परिवहन एवं आहार की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। संजीवनी–108 प्रदेश के दूरस्थ अंचल तक अपनी त्वरित सेवाएं प्रदान कर रही है। जिला स्तर पर कीमोथैरेपी की सेवा उपलब्ध कराई गई है एवं पैलिएटिव केयर (Palliative Care) की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। लोक स्वास्थ्य क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता व निरन्तर निवेश किये जाने से यह संभव हो सका है।

श्री बाला बच्चन - अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में देश में 15वें नम्बर पर है. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

44. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों की कमी के परिप्रेक्ष्य में इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिये प्रोत्साहित करने की दृष्टि से व्यवसायिक दक्षता अवरोध क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकृत किया गया है, जिसका अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहा है। चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स आदि की भर्ती भी निरन्तर की जा रही है। राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप सभी सूचकांकों में सुधार लाया गया है। शिशु मृत्यु दर 87 से घटकर 47, मातृ मृत्यु दर 398 से घटकर 221 एवं सकल प्रजनन दर 3.9 से घटकर 2.3 हुई है।

श्री हर्ष यादव - अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर नहीं हैं. स्वास्थ्य कर्मी नहीं हैं.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

45. भारत सरकार द्वारा घोषित आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 25 जिलों में 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जाएगा। इन केन्द्रों में प्रसव, शिशु की देखभाल, पोषण, परिवार कल्याण, संक्रामक व असंक्रामक रोगों के उपचार की सुविधा

उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इन केन्द्रों में नेत्र, दंत, मानसिक स्वास्थ्य तथा वृद्धजनों की देखभाल भी की जाएगी।

46. माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट भाषण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारंभ किये जाने की घोषणा की गई है। हम इस योजना का स्वागत करते हैं, इससे प्रदेश के 77 लाख वंचित परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिये विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय एवं निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं की सतत उपलब्धता आवश्यक है।

47. स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्तमान में न्यूनतम 100 बिस्तर चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रोत्साहन की व्यवस्था है। प्रदेश के छोटे कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में निजी सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से प्रस्ताव है कि 10 बिस्तर अथवा अधिक क्षमता के चिकित्सालयों की स्थापना हेतु पूंजीनिवेश की राशि के 40 प्रतिशत के मान से, अधिकतम राशि रूपये 3 करोड़ प्रोत्साहन अनुदान दिया जाए। जनजातीय क्षेत्रों में प्रोत्साहन अनुदान की दर 50 प्रतिशत प्रस्तावित है। विकास खण्ड मुख्यालय पर निवेश अनुदान की पात्रता हेतु न्यूनतम निवेश राशि रूपये 4 करोड़ तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों पर न्यूनतम निवेश की राशि रूपये 1 करोड़ होगी।

48. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिये 5 हजार 689 करोड़ का बजट प्रावधान है जो वर्ष 2017-18 के पुनरीक्षित अनुमान से 21 प्रतिशत अधिक है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए रूपये 1 हजार 975 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

49. अच्छे स्वास्थ्य के लिये अच्छा पोषण अनिवार्य है। विशेष पिछड़ी जनजातियों सहरिया, बैगा एवं भारिया परिवारों के पोषण स्तर में सुधार की दृष्टि से रूपये 1000 प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से विशेष सहायता दिये जाने की योजना जनवरी, 2018 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के संचालन हेतु वर्ष 2018-19 के लिये जनजातीय कार्य विभाग के बजट में रूपये 300 करोड़ का प्रावधान है। इससे 2 लाख 50 हजार परिवार लाभांवित होंगे।

चिकित्सा शिक्षा

50. राज्य सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से रतलाम, विदिशा, शिवपुरी, छिन्दवाड़ा, शहडोल, खण्डवा और दतिया में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ होने जा रहे हैं। इनके लिये आवश्यक अधोसंरचना पूर्णता पर है एवं उपकरणों के कय आदेश जारी किये जा चुके हैं।

51. गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर चिकित्सालय का चरणबद्ध निर्माण वर्ष 2018–19 में प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल की क्षमता 2000 बिस्तर किए जाने के उद्देश्य से निर्माण कार्य जारी है जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमीदिया चिकित्सालय में नवीन ओ.पी.डी. ब्लाक प्रारंभ किया जा चुका है। वायरोलॉजी लैब की स्थापना हो चुकी है एवं इसका संचालन यथाशीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा के चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशलिटी ब्लाक का निर्माण कार्य पूर्णता पर है।

52. आपको यह बताते हुये मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में बोनमेरो ट्रांसप्लांट सुविधा के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं एवं यथाशीघ्र यह सुविधा प्रारंभ की जा रही है।

53. राज्य शासन के प्रयासों के फलस्वरूप चालू शैक्षणिक सत्र में 65 अतिरिक्त पी.जी. सीट प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों को प्राप्त हुई हैं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में 450 एम.बी.बी.एस. एवं 84 नवीन पी.जी. सीटें प्रारंभ किये जाने हेतु अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। इसका लाभ शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रदेश के छात्र–छात्राओं को मिल सकेगा।

54. कैंसर के उपचार हेतु जबलपुर में राज्य कैंसर इन्स्टीट्यूट का निर्माण किया जा रहा है। ग्वालियर एवं विदिशा में टर्शयरी कैंसर केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा हेतु रूपये 2 हजार 16 करोड़ का बजट प्रावधान प्रावधान है।

आयुष

55. आयुष सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु शासन सतत प्रयासरत है। आयुष चिकित्सा सेवाएं नागरिकों को सहज उपलब्ध हो सकें इस दृष्टि से 217 एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सह आयुर्वेद औषधालय में आयुष चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है।

56. आयुष शिक्षा के विस्तार के लिये पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान भोपाल में 2 नवीन विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, धनवंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन में 3 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम इस वर्ष प्रारंभ किए गए हैं।

आयुष सेवाओं के लिये रूपये 438 करोड़ का प्रावधान है जो वर्ष 2017—18 के पुनरीक्षित अनुमान से 14 प्रतिशत अधिक है।

महिला एवं बाल विकास

57. प्रदेश में आंगनबाडी सेवाओं को प्रभावशाली बनाने के लिये आंगनबाडी पोषण आहार योजना के अन्तर्गत 0—3 वर्ष तक के बच्चों को प्रदाय किये जाने वाले टेक होम राशन तथा 3—6 वर्ष तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदाय करने हेतु राशि रूपये 6 प्रति हितग्राही से बढाकर 8 रूपये प्रति हितग्राही की जा रही है। इसी प्रकार गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए टेक होम राशन व्यवस्था हेतु राशि रूपये 7 प्रति हितग्राही से बढ़ाकर रूपये 9.50 की जा रही है। शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को टेकहोम राशन की व्यवस्था हेतु प्रति हितग्राही राशि रूपये 5 से बढ़ाकर रूपये 9.50 प्रति की गई है।

58. राज्य सरकार ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि पूरक पोषण आहार प्रदाय की व्यवस्था महिला स्वसहायता समूहों के फेडरेशन के माध्यम से की जाए।

महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु 3 हजार 722 करोड़ का प्रावधान है जो वर्ष 2017—18 के पुनरीक्षित अनुमान से 30 प्रतिशत अधिक है।

पेयजल

59. प्रदेश की 1 लाख 28 हजार ग्रामीण बसाहटों में से 84 प्रतिशत बसाहटों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति के मान से हम पेयजल उपलब्ध करा सके हैं। अब हमारा संकल्प घर—घर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का है। इस हेतु ग्रामीण नलजल योजनाओं एवं समूह जलप्रदाय योजनाओं का कियान्वयन वृहद स्तर पर किये जाने का प्रयास है।

60. वर्ष 2018—19 में 1650 बसाहटों में मुख्यमंत्री ग्राम नलजल योजना का कार्य प्रारंभ कराए जाने का लक्ष्य है। एक करोड़ से अधिक लागत वाली 255 नवीन योजनाएं नवीन मद के रूप में बजट में सम्मिलित हैं।

61. चालू वित्तीय वर्ष में सीहोर जिले की मरदानपुर, रायसेन जिले की उदयपुरा, देवास जिले की पुंजापुरा, बालाघाट जिले की भटेरा एवं पीपरझिरी, सिवनी जिले की झुरकी, बड़वानी जिले की तलुनखुर्द, छिन्दवाड़ा जिले की मोहखेड़ तथा खरगोन जिले की बागोद—नादिया—पिपलिया समूह जल प्रदाय परियोजनाओं को पूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ किया गया है।

62. राजगढ़ जिले की कुण्डलिया, मोहनपुरा एवं पहाड़गढ़, पन्ना जिले की पवई तथा सतना जिले की सतना–बाणसागर समूह जल प्रदाय परियोजनाओं के लिये न्यू डेव्हलपमेंट बैंक से वित्तीय सहयोजन हो चुका है। इनकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य यथा शीघ्र प्रारंभ करने का लक्ष्य है। शहडोल जिले की गोहपारू एवं ब्यौहारी तथा उमरिया जिले की बल्लोढ़ समूह जल प्रदाय परियोजनाओं का भी कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है।

63. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, अमृत योजना, विश्व बैंक एवं ए.डी.बी. सहायतित योजनाओं के तहत वृहद स्तर पर कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। 378 नगरीय निकायों में से 151 नगरीय निकायों की पेयजल परियोजनाएं विगत वर्षों में पूर्ण की गई हैं। वर्तमान में 167 परियोजनाओं का निर्माण जारी है जिनमें से वर्ष 2018–19 में 124 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। मुझे अत्यंत आत्मसंतोष है कि आगामी 3 वर्षों में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में मानक अनुसार पेयजल प्रदाय सुनिश्चित किया जा सकेगा।

पेयजल अधोसंरचना हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए रूपये 2 हजार 986 करोड़ व शहरी क्षेत्र के लिए रूपये 691 करोड़ का प्रावधान है।

स्वच्छ भारत मिशन

ग्रामीण

64. ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख 55 हजार व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 60 लाख 50 हजार शौचालयों का निर्माण किया गया है। 21 हजार 791 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। 2 अक्टूबर, 2018 तक शेष व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया जाकर सम्पूर्ण प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त किये जाने का लक्ष्य है।

शहरी

65. शहरी क्षेत्र में स्वच्छता के सभी घटकों में राज्य स्तर पर प्रभावी कार्य किया जाकर जनता को उन्नत सेवाएं प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया गया है। शहरी क्षेत्रों में खुले में शौच के लिये मजबूर परिवारों के लिये 5 लाख से अधिक शौचालय निर्मित गये हैं। प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश के सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। स्वच्छता की दिशा में किये गये अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में इन्दौर को देश में प्रथम तथा भोपाल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ तथा राज्य के 22 शहर देश के प्रथम 100 शहरों में सम्मिलित किये गये।

(मेजों की थपथपाहट)

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रूपये 2 हजार 234 करोड़ एवं शहरी क्षेत्रों के लिये रूपये 315 करोड़ का प्रावधान है।

अपशिष्ट प्रबंधन

66. वर्तमान में मात्र 5 से 10 प्रतिशत नगरीय आबादी सीवरेज से जुड़ी है। प्रदेश के 56 शहरों में सीवरेज परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, इनमे नर्मदा नदी के किनारे के 20 शहर सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं से लगभग 60 प्रतिशत शहरी आबादी को सीवरेज व्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा। वर्तमान में 31 शहरों में सीवरेज परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। इन्हें आगामी 2 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा।

(मेजों की थपथपाहट)

67. निकायों के 26 क्लस्टर बनाकर जन–निजी भागीदारी आधारित क्षेत्रीय अपशिष्ट प्रबंधन इकाईयां स्थापित की जा रही हैं। जबलपुर में कचरे से विद्युत उत्पादन के लिये 11.2 मेगावाट क्षमता की इकाई कार्यशील है। भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं रीवा में कचरे से विद्युत उत्पादन हेतु इकाईयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। कटनी में कचरे से जैविक खाद बनाने की इकाई प्रारंभ हो चुकी है।

नगरीय विकास की समस्त योजनाओं हेतु रूपये 11 हजार 932 करोड़ का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: वर्ष 2003 का यहां उल्लेख करना चाहूँगा. 14 वर्षों के बाद हम अपने पूरे कामों का लेखा-जोखा दे रहे हैं. हर सेक्टर में हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, यह बताना भी मेरा फर्ज बनता है.

सामान्य शिक्षा

68. प्राथमिक शालाओं की संख्या वर्ष 2003 में 55 हजार 980 थी जो अब बढ़कर 83 हजार 890 हो गई है। माध्यमिक शालाओं की संख्या 12 हजार 490 से बढ़कर 30 हजार 341 हो गई है। शैक्षणिक संस्थाओं के भौगौलिक विस्तार के प्रयासों के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर शाला त्याग दर 15 प्रतिशत से घट कर 4.9 प्रतिशत एवं माध्यमिक स्तर पर 24.7 प्रतिशत से घट कर 6.7 प्रतिशत रह गई है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की सहभागिता अन्य वर्गों के समकक्ष हो चुकी है।

श्री मुकेश नायक -- अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में 4 हजार प्राथमिक स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है. 17 हजार स्कूल ऐसे हैं, जिनमें केवल एक ही शिक्षक है...(व्यवधान)...

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

69. हाईस्कूलों की संख्या वर्ष 2003 में 1 हजार 704 थी जो बढ़कर 4 हजार 740 और हायरसेकेण्ड्री स्कूलों की संख्या 1 हजार 517 से बढ़कर 3 हजार 815 हो गई है। जीरो बजट की परम्परा के स्थान पर सम्पूर्ण सेट–अप के साथ शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गई है।

श्री बाला बच्चन -- माननीय वित्त मंत्री जी, आप क्वॉलिटी ऑफ एजुकेशन भी देख लीजिए. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वॉलिटी ऑफ एजुकेशन खत्म हो चुकी है. सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए पेरेंट्स तैयार नहीं होते हैं. रूरल एरियाज़ में टीचर नहीं हैं.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

70. हाईस्कूल स्तर पर शाला अंतरण दर 53 प्रतिशत से बढ़कर 84 प्रतिशत एवं हायर सेकेण्ड्री स्तर पर 41 प्रतिशत से बढ़कर 61 प्रतिशत हो चुकी है। कन्या शिक्षा हेतु किये गये अतिरिक्त प्रयासों से हाई स्कूल स्तर पर जेंडरपैरिटी

इंडेक्स 0.51 से बढ़कर 0.98 हुआ है। इस स्तर पर दर्ज छात्र संख्या में अनुसूचित जाति वर्ग की भागीदारी 16.6 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि आबादी के अनुरूप अनुसूचित जाति वर्ग की सहभागिता है। जनजातीय वर्ग की सहभागिता 16.4 प्रतिशत है जो इसकी आबादी के मान से कम है। अतः जनजातीय वर्ग को इस स्तर की शैक्षेणिक सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है।

71. शिक्षकों के प्रोत्साहन व कार्यक्षमता का निरन्तर उन्नयन अनिवार्य है। इसको ध्यान में रखते हुये इस सरकार ने कर्मी परम्परा को समाप्त कर अध्यापक संवर्ग की स्थापना की एवं इस संवर्ग को छठवे वेतनमान का लाभ दिया गया। वर्तमान में इस संवर्ग का नियंत्रण स्थानीय निकायों के अधीन है जिसे परिवर्तित कर इनकी सेवाएं राज्य शासन के अधीन लिये जाने का विनिश्चय किया गया है।

अध्यापक संवर्ग को समाप्त कर शिक्षक बनाया जाएगा.

72. नवीन हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूल की मांग को देखते हुये 720 नवीन हाई स्कूल एवं 480 नवीन हायरसेकेण्ड्री स्कूल आगामी शैक्षणिक सत्र में निर्धारित सेट–अप अनुसार प्रारंभ किए जाएंगे। अधोसंरचना विकास के कम में 672 हायरसेकेण्ड्री शाला भवनों तथा 125 हाईस्कूल भवनों के निर्माण का प्रस्ताव नवीन मद के रूप में सम्मिलित है। स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की भी व्यवस्था का काम जारी है। सभी हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्ड्री स्कूल भवनों के विद्युतीकरण का कार्य जुलाई, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

73. शैक्षणिक सुविधा के विस्तार पश्चात् उच्च्य गुणवत्ता के शिक्षण संस्थाओं एवं उनमें अधोसंरचना निर्माण हेतु विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के छात्र–छात्राओं के लिये, सरकार विशेष रूप से प्रयासरत है।

74. पिछले वर्ष बजट भाषण में मैंने जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों के लिये छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित किया था। मुझे खुशी है कि 41 जिला मुख्यालयों में 100 सीटर बालिका छात्रावास एवं 100 सीटर बालक छात्रावास निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

75. स्कूल शिक्षा विभाग के लिए रूपये 21 हजार 724 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित अनुमान से 21 प्रतिशत अधिक है। इसमें सर्वशिक्षा अभियान के लिए रूपये 3 हजार 109 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित है।

(मेजों की थपथपाहट)

76. जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में कन्या शिक्षा के विस्तार के लिए कुल 82 कन्या शिक्षा परिसर संचालित हैं। प्रत्येक कन्या शिक्षा परिसर की सीट क्षमता आगामी शैक्षणिक सत्र से 245 से बढ़ाकर 490 की जा रही है। वर्तमान में 65 कन्या शिक्षा परिसरों का निर्माण प्रगति पर है तथा वर्ष 2018–19 में शेष 15 कन्या शिक्षा परिसरों का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिये रूपये 450 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

77. प्रदेश में संचालित 29 एकलव्य विद्यालयों की सफलता दर हाईस्कूल परीक्षा में 96 प्रतिशत व हायरसेकेण्ड्री परीक्षा में 73 प्रतिशत है। इनमें से 4 ऐसे विद्यालय हैं जिनके सभी विद्यार्थी हाईस्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं।

78. जनजातीय वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिये विभिन्न श्रेणी के जूनियर, सीनियर एवं महाविद्यालयीन कुल 134 छात्रावासों का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये में इस हेतु रूपये 92 करोड़ का प्रावधान है। 4 संभागीय मुख्यालयों में 720 सीटर गुरूकुलम आवासीय विद्यालय भी प्रारंभ किये गये हैं। इनके भवन निर्माण हेतु वर्ष 2018–19 के लिए रूपये 18 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

79. चार संभागीय मुख्यालयों इन्दौर, जबलपुर, भोपाल एवं ग्वालियर में प्रतिवर्ष आकांक्षा योजना के अंतर्गत 1600 आदिवासी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा लॉ कालेजों में प्रवेश को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्ट कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग दिये जाने का प्रस्ताव है।

जनजाति विकास हेतु बजट प्रावधान रूपये 6 हजार 861 करोड़ प्रस्तावित है जो वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित अनुमान से 22 प्रतिशत अधिक है।

श्री बाला बच्चन -- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल का दो हजार करोड़ रूपए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास पर खर्च करना था. दो हजार करोड़ रूपए सरकार ने खर्च नहीं किया है. विधानसभा में यह मुद्दा मेरे द्वारा उठाया गया था. यह मेरे प्रश्न के जवाब में है. अनुसूचित जनजाति विकास के लिए बजट में प्रोवीजन तो किया जाता है लेकिन खर्च कहीं और किया जाता है.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

80. अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए 10 ज्ञानोदय विद्यालयों में उत्कृष्ट शैक्षणिक व्यवस्था स्थापित की गई है। इन विद्यालयों के हाईस्कूल में 95 प्रतिशत एवं हायरसेकेण्ड्री में 97 प्रतिशत परीक्षार्थी सफल रहे हैं, जिनमें से क्रमशः 91 प्रतिशत व 86 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रत्येक ज्ञानोदय विद्यालय की सीट क्षमता 280 से बढ़ाकर आगामी शैक्षणिक सत्र से 640 की जा रही है। इसके लिये अधोसंरचना विस्तार हेतु रूपये 50 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

81. इस वर्ग के छात्र–छात्राओं को छात्रावासों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2017–18 में 51 छात्रावास भवनों का निर्माण पूर्ण किया गया है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में निर्माणाधीन छात्रावासों में 50 छात्रावास भवनों का निर्माण पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है। 43 भवन विहीन छात्रावासों के लिये रूपये 108 करोड़ की लागत से भवन निर्माण की स्वीकृति यथाशीघ्र जारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत 10 कन्या छात्रावास एवं 10 बालक छात्रावास का निर्माण प्रस्तावित है। छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु रूपये 122 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

82. पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। पोस्ट मेट्रिक छात्र–छात्राओं की सुविधा हेतु वर्तमान में 100 छात्रावास संचालित हैं। इस सुविधा में और विस्तार करते हुये भोपाल, जबलपुर, इन्दौर और ग्वालियर में 500 सीट वाले कन्या छात्रावासों की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त नवीन 100 सीटर कन्या छात्रावासों की स्थापना राजगढ़, उज्जैन, दमोह एवं रायसेन में प्रस्तावित है। ग्वालियर, भोपाल एवं उज्जैन में नवीन 100 सीटर बालक छात्रावासों की स्थापना भी प्रस्तावित है।

83. छात्र–छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बजट वर्ष 2018–19 में छात्रवृत्ति हेतु रूपये 2 हजार 301 करोड़ का प्रावधान है जिसमें जनजातीय कार्य विभाग के लिए रूपये 605 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के लिए रूपये 436 करोड तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए रूपये 833 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इस प्रावधान में महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति भी सम्मिलित है।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल संवर्धन

84. वर्ष 2003 में प्रदेश में कुल 159 आई.टी.आई. में 13 हजार 438 सीटें उपलब्ध थीं एवं आज की स्थिति में 1 हजार 41 आई.टी.आई. में 2 लाख 17 हजार 890 सीटें उपलब्ध हैं।

85. एशियन विकास बैंक की सहायता से विश्व स्तरीय ग्लोबल स्किल पार्क की भोपाल में स्थापना एवं 10 संभागीय स्तरीय आई.टी.आई. को मॉडल आई.टी. आई. के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ है।

86. 23 नवीन आईटीआई संस्थाएं आदिवासी विकासखण्डों में, जहां शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में आईटीआई संचालित नहीं हैं, स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

87. युवाओं को रोजगार से संबद्ध करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की स्थापना दिनांक 1 जनवरी, 2018

से की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में 7.50 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है।

श्री सचिन यादव-- अध्यक्ष महोदय, पकौड़े बनाने की ट्रेनिंग दी गई है.

श्री जयंत मलैया-- बहुत अच्छा काम है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा.

श्री आरिफ अकील-- तो आप पकौड़े की दुकान कब लगा रहे हों...(व्यवधान)...

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

88. मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना के तहत 27 हजार 680 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के 26 हजार 112, चिकित्सा शिक्षा के 640, तकनीकी शिक्षा के 296 एवं NIFT/SPA के 189 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के लिये वर्ष 2018–19 में रूपये 170 करोड़ का प्रावधान है।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल संवर्धन के लिये रूपये 1 हजार 501 करोड़ का बजट प्रावधान है जो वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित अनुमान से 61 प्रतिशत अधिक है।

उच्च शिक्षा

89. उच्च शिक्षा के विस्तार के क्रम में वर्ष 2017–18 में 15 नवीन तथा 3 आदर्श नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसी कड़ी में वर्ष 2018–19 में 17 नवीन तथा 2 आदर्श नवीन महाविद्यालयों की स्थापना प्रस्तावित है। विश्व बैंक परियोजना के तहत 6 विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का कार्य प्रस्तावित है। शासकीय महाविद्यालयों के 27 निर्माण कार्यों एवं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 50 महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

90. उच्च शिक्षा में प्रदेश का GER 19.6 प्रतिशत है किन्तु अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गों का GER क्रमशः 15.15 एवं 8.6 है। इस परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार, छात्रावासों की स्थापना व छात्रवृत्ति प्रदाय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कुल 7 लाख से भी अधिक छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है जिस पर अनुमानित वार्षिक व्यय रूपये 850 करोड़ है।

उच्च शिक्षा के लिये रूपये 2 हजार 244 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित अनुमान से 18 प्रतिशत अधिक है।

भवन निर्माण

91. लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पी.आई.यू. के पुनर्गठन के उपरान्त भवनों के निर्माण में तेजी आई है एवं गुणवत्ता में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ है। पी.आई.यू. द्वारा 4 हजार 841 भवनों के निर्माण का कार्य पूर्ण किया है एवं 8 हजार 182

करोड़ राशि व्यय की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में 1 हजार 500 भवनों का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य है।

खेल एवं युवक कल्याण

92. राज्य स्तर पर 19 खेल अकादमियां संचालित की जा रही हैं। भोपाल शूटिंग अकादमी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज का निर्माण किया गया है। अकादमियों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। महिला हॉकी अकादमी की 06 खिलाड़ियों ने रियो ओलम्पिक में देश का प्रतिनिधित्व किया तथा वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम में आधे खिलाड़ी प्रदेश की अकादमी के हैं। मध्य प्रदेश वर्तमान में क्याकिंग–केनोइंग, केनो–स्लॉलम, रोईंग, सेलिंग तथा कराते में राष्ट्रीय चैम्पियन है। मिशन 2020 के तहत प्रयास है कि प्रदेश के खिलाड़ी टोक्यो ओलम्पिक में पदक प्राप्त करें।

खेल एवं युवा कल्याण कार्यक्रमों के लिये रूपये 224 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित अनुमान से 21 प्रतिशत अधिक है।

93. जनजातीय वर्ग के छात्र–छात्राओं की खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिये प्रदेश में 23 क्रीड़ा परिसरों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में 7 क्रीड़ा परिसरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाओं से युक्त किया जाएगा इसके लिये रूपये 23 करोड़ 93 लाख का प्रावधान जनजातीय कार्य विभाग के बजट में पृथक से प्रस्तावित है।

स्वरोजगार

94. प्रदेश के युवा रोजगार के अवसर सृजित करें, इस दृष्टि से प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना वर्ष 2014–15 में प्रारंभ की गई हैं। इन योजनाओं के तहत अभी तक 3 लाख 10 हजार 234 युवाओं को स्वरोजगार स्थापना हेतु सहायता दी गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में 1 लाख 13 हजार 250 हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्य है।

95. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत हितग्राहियों को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण की सीमा रूपये 1 करोड़ से बढ़ाकर रूपये 2 करोड़ की गई है। महिला स्वसहायता समूहों को इस योजना का लाभ देने का विनिश्चय किया गया है एवं इनके लिये ऋण सीमा रूपये 5 करोड़ निर्धारित की जा रही है। इस योजना के तहत हितग्राहियों को दी जाने वाली मार्जिन मनी सहायता राशि

बी.पी.एल. परिवारों के लिये 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की दर से, अधिकतम राशि रूपये 18 लाख नियत की गई है।

96. कृषक परिवारों के युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिये कृषक उद्यमी योजना दिनांक 16 नवम्बर, 2017 से प्रारंभ की गई है।

97. चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदेश में 21 लाख 46 हजार 991 प्रकरणों की स्वीकृति दी गई है। कुल स्वीकृत ऋण राशि रूपये 9 हजार 991 करोड़ के विरूद्ध 9 हजार 560 करोड़ का वितरण किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 25 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना हेतु रूपये 774 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना

98. शहरी क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत 8 हजार 800 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 1 लाख 05 हजार 899 हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाकर 52 हजार 281 हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 23 लाख 71 हजार परिवारों को 2 लाख 7 हजार से ज्यादा स्वसहायता समूह से जोड़ा गया है। अब तक 14 लाख 53 हजार परिवारों को आजीविका से जोड़ा गया है।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लिये रूपये 633 करोड़ एवं शहरी क्षेत्र के लिये रूपये 105 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

ग्रामोद्योग

99. प्रदेश के शिल्पकारों की आय वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है। इस वर्ष चंदेरी में हेंडलूम पार्क का शुभारंभ किया गया है। इस हेंडलूम पार्क में आयरन फ्रेम लूम स्थापित किये गये हैं एवं कम्प्यूटर एडेड डिजाईन, रंगाई सुविधा, ट्रेड फेसिलिटेशन सेंटर आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे 4 हजार 500 बुनकर लाभांवित होंगे।

100. माटी शिल्पियों को टेरा कोटा/पॉटरी निर्माण का प्रशिक्षण तथा विद्युत चलित चाक 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया गया है। ग्राम बीजापुर, जिला अनूपपुर में स्वर्गीय श्री फुंदीलाल धुर्वे की स्मृति में काष्ठ कला प्रशिक्षण

केन्द्र प्रारंभ किया गया है। ग्रामोद्योग विकास की योजनाओं हेतु रूपये 242 करोड़ 33 लाख का प्रावधान है।

जनजातीय विकास

101. जनजातीय वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाएं राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही हैं। शासन का उद्देश्य विकास के विभिन्न मापदण्डों पर इन्हें अन्य वर्गों के समकक्ष लाना है। सामान्य अधोसंरचना विकास के लिए रूपये 165 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए रूपये 100 करोड़, क्लस्टर में स्थानीय विकास के लिए कार्यक्रम के लिए 250 करोड़, आदि प्रावधान किए गए हैं।

समग्र रूप से जनजातीय कार्य विभाग के लिए रूपये 6 हजार 861 करोड़ का प्रावधान है।

(मेजों की थपथपाहट)

अनुसूचित जाति कल्याण

102. इस वर्ग के लिए शैक्षणिक विकास की योजनाओं के अतिरिक्त स्वरोजगार प्रशिक्षण, स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं सामान्य अधोसंरचना विकास योजनाएं संचालित हैं। अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना के तहत इस वर्ष 35 डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पूर्ण कर लिये गये हैं एवं 53 भवनों का निर्माण प्रगति पर है। बस्ती विकास योजना के लिये समग्र रूप से रूपये 118 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग हेतु रूपये 1 हजार 636 करोड़ का बजट प्रावधान है जो वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित अनुमान से 20 प्रतिशत अधिक है।

(मेजों की थपथपाहट)

पिछड़ा वर्ग कल्याण

103. पिछड़े वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर केन्द्रित विभिन्न योजनाओं का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के युवाओं के रोजगोरोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य 12 हजार 500 की तुलना में आगामी वर्ष के लिये 20 हजार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए रूपये 961 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

(मेजों की थपथपाहट)

अल्पसंख्यक कल्याण

104. अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक विकास एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की विशेष योजनाएं संचालित हैं। इस हेतु रूपये 31 करोड़ 18 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित अनुमान से 27 प्रतिशत अधिक है।

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध–घुमक्कड़ जाति कल्याण

105. देवास सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुरूप इस समुदाय के समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इस वर्ग के कल्याण हेतु विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, आवास योजना एवं स्वरोजगार योजनाएं संचालित हैं। इस हेतु रूपये 53 करोड़ 63 लाख का प्रावधान है।

सामाजिक न्याय

106. विधवा महिलाओं हेतु पेंशन की योजना में गरीबी रेखा का बंधन हटाया जाकर इसे अप्रैल, 2018 से लागू कर दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना

ग्रामीण

107. ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख 37 हजार आवासों का निर्माण किया जा चुका है। प्रसन्नता का विषय है कि मध्य प्रदेश आवास निर्माण की गुणवत्ता एवं आवास पूर्ण कराने में देश में प्रथम स्थान पर है। आगामी वित्तीय वर्ष 5 लाख 11 हजार आवास पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री गोपाल भार्गव)-- कम से कम अब तो आप शाबासी दो.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

शहरी

108. इस योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 5 लाख 11 हजार आवासीय इकाईयां, जिनकी कुल लागत 30 हजार करोड़ है, स्वीकृत की गई हैं। इनमें 2 लाख आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाकर 75 हजार आवासीय इकाईयों पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लिये रूपये 6 हजार 600 करोड़ एवं शहरी क्षेत्र के लिये रूपये 1 हजार 700 करोड़ का प्रावधान है।

श्री गोपाल भार्गव--यह हमारी 40 प्रतिशत मेचिंग ग्रांट है. कम से कम धन्यवाद तो दीजिए.

श्री बाला बच्चन-- आप धन्यवाद के लिए इतने उत्सुक क्यों हो रहे हैं. बजट भाषण हो जाने दीजिए फिर बताएंगे कि आपको क्या देंगे.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

मनरेगा

109. मनरेगा के तहत वर्ष 2018–19 में 17 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य है तथा सामग्री पूर्ति हेतु रूपये 2 हजार करोड का प्रावधान है। इस वर्ष विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रोथ सेंटर्स का चयन कर वहां बाजार अधोसंरचना का विकास एवं प्रमुख ग्रामों से सीधी सड़क से जोड़ने का कार्य कन्वर्जेन्स में किया जाएगा ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन लाभ मिल सके।

खाद्य सुरक्षा

110. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 1 करोड़ 16 लाख 88 हजार परिवारों को गेहूं तथा चावल एक रूपये प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। इसके लिए रूपये 525 करोड़ का प्रावधान है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एंड–टू–एंड कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है जिससे खाद्यान्न उपार्जन, भंडारण, परिवहन, परिवारों का विवरण तथा वितरण की पूर्ण जानकारी सहज उपलब्ध हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है जिसके द्वारा सम्पूर्ण व्यवस्था की मानिटरिंग की जा रही है।

श्री गोपाल भार्गव- धन्यवाद दीजिए कि बीस रुपए में खरीदकर एक रुपए में देंगे.

श्री बाला बच्चन-- कोलारस और मुंगावली की जनता धन्यवाद के रूप में दे रही है. कोलारस और मुंगावली की जनता ने परिणाम दे दिया है. आप धन्यवाद के लिए इतने उत्सुक क्यों हो रहे हैं.

श्री गोपाल भार्गव- 20 रुपए का खरीद रहे हैं और 1 रुपए में दे रहे हैं. इसके बावजूद कृतघ्नता बताएंगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

कानून व्यवस्था

111. पिछले 10 वर्षों में पुलिस बल में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो मध्यप्रदेश की स्थापना के बाद सर्वाधिक है। नवीन पुलिस थानों/चौकियों की स्थापना से जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। डायल 100 की व्यवस्था होने से सूचना प्राप्त होते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुँच जाती है।

112. जिला मुख्यालयों और चिन्हित 61 बड़े शहरों में निरन्तर निगरानी तथा यातायात प्रबंधन के लिए सी0सी0टी0व्ही0 कैमरे लगाये जा रहे हैं। वर्ष 2018–19 में 50 शहरों में सी0सी0टी0व्ही0 कैमरे लगाये जाएंगे, इस हेतु रूपये 147 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

श्री आरिफ अकील-- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भोपाल की ट्रेफिक व्यवस्था सुधरवा दीजिए. हर जगह जाम लगता है.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) --

113. क्राईम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम परियोजना समस्त थानों को संबंधित नेटवर्क तथा साफ्टवेयर के माध्यम से जोड़कर अपराध तथा अपराधी संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। इससे पुलिस की दक्षता बढ़ी है। इस योजना हेतु रूपये 17 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

वन मंत्री (श्री गौरीशंकर शेजवार)-- क्रिमिनल्स की बात आई और आप खड़े होकर नाराज होने लगे. यह क्या बात है.

श्री आरिफ अकील-- आपकी बात हो रही थी इसीलिए मेरा खड़ा होना जरूरी था. सबसे बड़े क्रिमिनल तो आप...

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) --

114. मुख्य मंत्री पुलिस आवास योजना अन्तर्गत पुलिस कर्मियों के आवास निर्माण हेतु रूपये 240 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के अनुरूप पुलिस थाना भवनों तथा पुलिस लाईन बैरकों में

कुछ सुविधाएं आवश्यक हो गई हैं, जिनके विकास हेतु रूपये 40 करोड़ का प्रावधान है।

पुलिस बल हेतु कुल प्रावधान रूपये 6 हजार 434 करोड़ है।

न्याय प्रशासन

115. न्याय को सुगम एवं पारदर्शी बनाने के लिए उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों तथा महाधिवक्ता कार्यालय के कामकाज का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। कटनी तथा उज्जैन जिलों में सी0सी0टी0व्ही0 कैमरे लगाये जाने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में सभी जिला न्यायालयों में सी0सी0टी0व्ही0 कैमरे लगाने का लक्ष्य है जिसके लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान है। वर्ष 2018–19 में न्याय प्रशासन हेतु कुल प्रावधान 1 हजार 377 करोड़ रूपये है, जिसमें रूपये 213 करोड़ का प्रावधान अधोसंरचना विकास हेतु है।

श्रम

116. राज्य सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया गया है। इस हेतु वर्ष 2018–19 में रूपये 100 करोड़ का प्रावधान है। श्रम कल्याण की गतिविधियों को संचालित करने हेतु रूपये 321 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

राजस्व

117. राजस्व न्यायालयों के कार्यों में पारदर्शिता एवं तत्परता लाने हेतु राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इस परियोजना से राजस्व न्यायालयों के कार्यों में गति आई है तथा भूमि नामान्तरण, बंटवारा तथा सीमांकन एवं अन्य राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण हुआ है, जिसे आम जन–मानस द्वारा सराहा जा रहा है। ई0टी0एस0 मशीनों के माध्यम से सीमांकन की प्रकिया सम्पादित करने से त्रुटियां कम हो रही हैं तथा राजस्व अमले की क्षमता में वृद्वि हुई है। सीमांकन प्रकिया में सतत सुधार हेतु CORS (Continuous Operating Reference Station) की स्थापना हेतु वर्ष 2018–19 में रूपये 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्व प्रशासन की गतिविधियों के संचालन हेतु रूपये 3 हजार 940 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

श्री मुकेश नायक-- मध्यप्रदेश में 50 प्रतिशत तहसीलदारों के पद खाली हैं और आप इसका कम्प्यूटरीकरण कर रहे हैं.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

सुशासन

118. लोक सेवा गारंटी अधिनियम अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में 177 नई योजनाओं को अधिसूचित किया गया है जिसमें से 88 नई सेवाएं नागरिकों को ऑन–लाईन प्रदाय की जा रही हैं। अब तक इस कानून अन्तर्गत 428 सेवाओं को जोड़ा गया है।

वन

119. वन भूमि के गैर–वानिकी प्रयोजन के संबंध में एक बड़ी राशि क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि में जमा कराई जाती है, जिसका पूरा उपयोग वन संरक्षण एवं विस्तार हेतु नहीं हो पा रहा था। केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि के त्वरित एवं समुचित उपयोग हेतु कैम्पा अधिनियम बनाया गया है तथा अब इसके क्रियान्वयन हेतु प्रारूप नियम अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के प्रभावशील होने पर वन संरक्षण एवं वानिकी विस्तार के लिए एक बड़ी राशि राज्य को उपलब्ध होगी। केन्द्र सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं।

120. बांस हमारे किसानों के लिए एक लाभप्रद वैकल्पिक फसल है। इसके उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हमारी सरकार ने वन क्षेत्र के बाहर बांस के परिवहन को "परिवहन अनुज्ञा प्त्र" की आवश्यकता से मुक्त किया था। भारत सरकार द्वारा भी भारतीय वन अधिनियम में संशोधन कर वन क्षेत्र के बाहर पाये जाने वाले बांस को पेड़ की परिभाषा से पृथक किया है। बांस उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी द्वारा वर्ष 2018–19 के अपने बजट भाषण में बांस मिशन की पुनर्सरंचना करने की घोषणा की है और इसके लिए रूपये 1200 करोड़ का बजट प्रावधान केन्द्रीय बजट में किया है। इसी के अनुरूप राज्य में बांस मिशन के क्रियान्वयन के लिए रूपये 200 करोड़ का प्रावधान है।

121. वनों के समुचित प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु रूपये 620 करोड़ का प्रावधान "कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन" तथा "वन्य जीव पर्यावास के समन्वित विकास" हेतु किया गया है। 2 जुलाई, 2017 को नर्मदा नदी के कछार में लगभग 7 करोड़ पौधे रोपित किये गये थे। इसी भांति इस वर्ष भी 8 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है।

122. तेन्दुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य शासन, बीमा कंपनी एवं लघु वनोपज संघ द्वारा समन्वित रूप से आश्रित परिवार को कुल राशि रूपये 2 लाख की सहायता देने की योजना लागू की गई है।

वन विभाग की योजनाओं के लिये समग्र रूप से रूपये 2 हजार 706 करोड़ का प्रावधान है।

महिला सशक्तिकरण

123. लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। योजना अन्तर्गत अब तक 27 लाख 70 हजार से अधिक बालिकाओं को लाभ दिया गया है। वर्ष 2017–18 में लाड़ली लक्ष्मी योजना अन्तर्गत लगभग 67 हजार बालिकाओं को छठवी कक्षा में प्रवेश लेने पर रूपये 2 हजार प्रति बालिका के मान से वित्तीय लाभ दिया गया। इस योजना हेतु रूपये 909 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

पर्यटन

124. वृहद जलाशयों के कारण निर्मित नैसर्गिक सौन्दर्य की तरफ सैलानियों को आकर्षित करने में प्रदेश को सफलता मिली है। जल महोत्सव के सफल आयोजन और अधोसंरचना निर्माण के परिणाम स्वरूप प्रदेश को 10 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रदेश को लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष में एडवेंचर टूरिज्म को पहचान देने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार का लक्ष्य है।

संस्कृति

125. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अन्तर्गत अब तक सभी धर्मों के 5 लाख 22 हजार तीर्थ यात्रियों को लाभ दिया गया है। इस योजना के लिए रूपये 200 करोड़ का प्रावधान है।

126. भारतवर्ष को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोने वाले आदि–शंकराचार्य की पुण्य स्मृति में एकात्म यात्रा आयोजित की गई। वेदांत संस्थान की स्थापना, आदि–शंकराचार्य की विशाल प्रतिमा की स्थापना तथा अन्य अनुषांगिक व्यवस्थाओं हेतु आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास का गठन किया गया है। इस हेतु रूपये 11 करोड़ का प्रावधान है।

127. शबरी माता सांस्कृतिक केन्द्र, उमरिया जिले में आदिवासी कला केन्द्र तथा मूर्धन्य चित्रकार स्वर्गीय जनगण सिंह श्याम की स्मृति स्वरूप कला संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है। विशेष पिछड़ी जनजातियोंा की संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु श्योपुर में सहरिया, छिन्दवाड़ा में भारिया एवं डिण्डोरी में बैगा सांस्कृतिक केन्द्र, प्रति केन्द्र लागत रूपये 5 करोड़ 90 लाख के मान से स्थापित किए जाएंगे।

128. सांदीपनी आश्रम उज्जैन में 14 विधाओं एवं 64 कलाओं की कला दीर्घाओं का विकास किया गया है। भक्ति साहित्य के केन्द्र के रूप में ख्यात तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट के भवन का निर्माण एवं साज–सज्जा की गई है। लीलाओं के प्रशिक्षण एवं परिष्कार के लिये लीला गुरूकुल संस्थान चित्रकूट में स्थापित किया जा रहा है।

संस्कृति विकास हेतु रूपये 243 करोड़ का प्रावधान है।

कर्मचारी कल्याण

129. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं उप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा नियत मानदेय के अतिरिक्त मानदेय की राशि राज्य द्वारा भुगतान की जा रही है, इस राशि में वृद्धि की जाएगी।

130. शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया है। स्थापना अनुदान प्राप्त करने वाली स्वशासी संस्थाओं, स्व–वित्त पोषित नगरीय निकायों, निगम एवं मंडल के सेवायुक्तों को भी सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।

131. राज्य वेतन आयोग से प्राप्त अनुशंसाओं में से अधिकतर अनुशंसाओं पर आवश्यक निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जा चुकी है, शेष अनुशंसाओं पर भी अप्रैल, 2018 तक निर्णय ले लिया जाएगा। छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा शासकीय सेवकों को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए विशिष्ट अनुशंसा की गई थी, जिसे राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिए भी लागू किया गया है। इससे व्यथित शासकीय सेवकों द्वारा अभ्यावेदन दिए गए हैं उन पर भी विचार किया जाएगा।

132. दिनांक 01.01.2016 के पूर्व शासकीय सेवा से सेवानिवृत्तों को देय पेंशन एवं परिवार पेंशन में वृद्धि विचाराधीन रही है। इन्हें देय पेंशन में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि प्रस्तावित है।

133. कानून व्यवस्था में कोटवारों की भूमिका के महत्व के परिप्रेक्ष्य में भूमिहीन कोटवारों की मानदेय राशि में वृद्धि प्रस्तावित है।

134. महाविद्यालयों में सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों एवं शालाओं में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय तथा अंशकालिक सफाई कर्मचारियों, भृत्यों एवं लिपिकों के मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि विचाराधीन है।

पुनरीक्षित अनुमान 2017–18

135. पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां रूपये 1 लाख 35 हजार 72 करोड़ तथा राजस्व व्यय रूपये 1 लाख 34 हजार 496 करोड़ है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान रूपये 24 हजार 83 करोड़ है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत है।

बजट अनुमान 2018–19

राजस्व प्राप्तियां

136. वर्ष 2018–19 में कुल राजस्व प्राप्तियां का बजट अनुमान रूपये 1 लाख 55 हजार 886 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां रूपये 54 हजार 655 करोड़ तथा केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां रूपये 59 हजार 489 करोड़ है। कर–भिन्न राजस्व प्राप्तियां रूपये 10 हजार 933 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां रूपये 30 हजार 807 करोड़ अनुमानित हैं।

कुल व्यय

137. वर्ष 2018–19 के लिए कुल विनियोग की राशि रूपये 2 लाख 4 हजार 642 करोड़, राजस्व मद अंतर्गत रूपये 1 लाख 55 हजार 623 करोड़ तथा पूंजीगत मद अंतर्गत रूपये 31 हजार 61 करोड़ प्रस्तावित है। सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए वर्ष 2018–19 के लिए समग्र रूप से बजट प्रावधान रूपये 1 लाख 14 हजार 790 करोड़ है। इसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए बजट प्रावधान रूपये 27 हजार 475 करोड़ तथा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए बजट प्रावधान रूपये 18 हजार 735 करोड़ है। कृषि बजट में सम्मिलित योजनाओं के लिए समग्र रूप से रूपये 37 हजार 498 करोड़ का बजट प्रावधान है। शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं के लिए समग्र रूप से रूपये 32 हजार 948 करोड़ का बजट प्रावधान है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए समेकित रूप से रूपये 15 हजार 438 करोड़ का प्रावधान है।

शुद्ध लेन–देन

138. वर्ष 2018–19 की कुल प्राप्तियां रूपये 1 लाख 86 हजार 698 करोड़ तथा कुल व्यय रूपये 1 लाख 86 हजार 685 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन–देन रूपये 13 करोड़ का अनुमान है।

राजकोषीय स्थिति

139. वर्ष 2018–19 में राजस्व आधिक्य अनुमानित है। वर्ष 2018–19 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान रूपये 26 हजार 780 करोड़ है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.24 प्रतिशत अनुमानित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

माल एवं सेवा कर

दिनांक 1 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर प्रणाली (जी.एस.टी.) लागू की गई है। जी.एस.टी. के सुव्यवस्थित एवं सफल क्रियान्वयन हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। करदाताओं एवं कर–सलाहकारों को विभिन्न माध्यमों से जानकारी दी गई है एवं प्रशिक्षित किया गया है। निरन्तर संवाद करते हुए 1 हजार 116 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं एवं उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया है। वृत्त स्तर पर एवं आयुक्त कार्यालय में जी.एस.टी. हेल्प–डेस्क की स्थापना की गई है, जिनके माध्यम से व्यवसाईयों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। जी.एस.टी. लागू होने के उपरान्त, वैट प्रणाली में पूर्व से पंजीकृत व्यवसाईयों में से 2 लाख 66 हजार 746 व्यवसाईयों का जी.एस.टी. के अंतर्गत माईग्रेशन कराया गया है। जी.एस.टी.प्रणाली लागू होने के उपरान्त 1 लाख 10 हजार नये व्यवसाईयों द्वारा पंजीयन प्राप्त किया गया है। इस प्रकार राज्य में अप्रत्यक्ष करदाता पंजीयन में 41.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2. जी.एस.टी. में मुख्य रूप से कर की 5 दरें रखी गई हैं:– 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत। 0 प्रतिशत वाली श्रेणी में अनाज, दलहन, आटा, गुड़, पापड़, नमक, ब्रेड, मानव रक्त, काजल, बिन्दी, सिन्दूर, पुस्तकें, समाचार–पत्र, खादी, नारियल, दूध, दही, पनीर, लस्सी, मट्ठा, प्राकृतिक शहद, बीज, कृषि उपकरण, मांस, पेड़–पौधे, फूल, सब्जियां, फल इत्यादि रखे गये हैं। आम उपभोक्ताओं के उपयोग की वस्तुएं तथा फर्टिलाईजर इत्यादि 5 प्रतिशत वाले स्लैब में रखी गई हैं। आम आदमी और किसानों के उपयोग में आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर वैट प्रणाली की तुलना में जी.एस.टी. व्यवस्था में करभार में कमी आई है। आम उपभोक्ताओं के उपयोग में आने वाले वस्तुओं पर जी.एस.टी. दर में कमी कराने के लिए राज्य सरकार ने जी.एस.टी. काउंसिल में सतत प्रयास किए हैं और अनेक वस्तुओं पर कर दर में कमी की गई है।

श्री आरिफ अकील - आपने मांस के ऊपर जीरो प्रतिशत कर दिया. आप डीजल पेट्रोल पर भी तो कुछ बोलिए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र - आरिफ भाई, यह बजट की बात है. आपकी समझ में नहीं आएगा.

श्री आरिफ अकील - आप तो सरकार चलाते हो, यह आपको क्या मालूम ?

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) –

3. व्यवसाईयों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कम्पोजिशन व्यवसाईयों हेतु टर्न ओवर की सीमा रूपये 50 लाख से बढ़ाकर रूपये 1 करोड़ की गई है। इन व्यवसाईयों को मासिक विवरण पत्र के स्थान पर त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है। रूपये 1.5 करोड़ से कम वार्षिक बिक्री वाले व्यवसाईयों को त्रैमासिक आधार पर जी.एस.टी.आर.–1 विवरण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है। रिटर्न फाईलिंग के दौरान आने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए रिटर्न भरने की तिथि बढ़ाई गई है। साथ ही विवरण–पत्र देरी से भरने पर लगने वाली फीस एवं शास्ति को माफ किया गया है।

वृत्ति कर

4. वर्तमान में नियोजन में ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन 1 लाख 80 हजार तक है द्वारा वृत्ति कर देय नहीं है तथा इससे अधिक वार्षिक वेतन या मजदूरी पर वृत्ति कर रूपये 2500 देय है। वृत्ति कर हेतु कर मुक्ति की सीमा बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार वार्षिक की जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार रूपये 2 लाख 25 हजार 01 से रूपये 3 लाख तक वार्षिक वेतन के लिए देय कर रूपये 2 हजार 500 से घटाकर रूपये 1 हजार 500, रूपये 3 लाख 01 से रूपये 4 लाख तक वार्षिक वेतन के लिए देय कर रूपये 2 हजार 500 से घटाकर रूपये 2 हजार की जाना प्रस्तावित है। रूपये 4 लाख 01 से अधिक वार्षिक वेतन वालों के लिए कर की देयता पूर्ववत रूपये 2 हजार 500 रहेगी।

5. जी.एस.टी. अधिनियम में कर की देयता माल एवं सेवाओं की आपूर्ति रूपये 20 लाख वार्षिक से अधिक होने पर आती है। वैट अधिनियम में व्यवसाईयों पर कर दायित्व की यह सीमा रूपये 10 लाख थी। जी.एस.टी. अधिनियम में रूपये 20 लाख की सीमा तक माल एवं सेवाओं की आपूर्ति होने पर कर देयता नहीं है। अतः उसी के अनुरूप रूपये 20 लाख से कम टर्न ओवर वाले माल एवं सेवाओं की आपूर्ति को वृत्ति कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। रूपये 20 लाख से अधिक वार्षिक माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर वृत्ति कर रूपये 2 हजार 500 देय होगा।

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क

6. अमलगमेशन और मर्जर के मामलों में गत वर्ष स्टाम्प ड्यूटी पर अधिकतम सीमा का अभिनिर्धारण किया गया था, किन्तु इसके सहवर्ती पंजीयन शुल्क स्टाम्प ड्यूटी से अधिक हो गया था। प्रदेश में अमलगमेशन और मर्जर पर वर्तमान में पंजीयन शुल्क सम्पत्ति के मूल्य का 0.8 प्रतिशत है, जो महाराष्ट्र, गुजरात आदि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है और प्रदेश में निवेश के वातावरण को हतोत्साहित करता है। अतः शुल्क घटाकर स्टाम्प ड्यूटी का 0.8 प्रतिशत करना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2018–19 का बजट प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द – जय मध्य प्रदेश

धन्यवाद.

(मेजों की थपथपाहट)

डॉ. गौरीशंकर शेजवार - जयंत मलैया जी, आपको बहुत-बहुत बधाई.

वित्तमंत्री (श्री जयंत मलैया) -- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के उपस्थापन के साथ-साथ मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण वर्ष 2018-2019 सदन के समक्ष रखता हूं. धन्यवाद.

12.30 बजे **अध्यक्षीय घोषणा**

आय-व्ययक की मांगों पर कटौती प्रस्ताव एवं सामान्य चर्चा का समय नियत करने विषयक

अध्यक्ष महोदय :- मैं, आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिये दिनांक-09 एवं 12 मार्च, 2018 नियत करता हूं. आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किए जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 1 मार्च, 2018 को अपराह्न 4 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती हैं.

विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 07 मार्च, 2018 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित.

अपराह्न 12.31 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 07 मार्च, 2018 (16 फाल्गुन, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

भोपाल: **ए. पी. सिंह**

दिनांक: 28 फरवरी, 2018 प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा